समयबद्ध/महत्वपूर्ण

संख्या-01/2023/175/90-सं0शि0प0का0/2023-06(सं0शि0)/2023

प्रेषक,

जे0पी0 सिंह-II,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक-30 जनवरी, 2023**

विषय: संसदीय समितियों द्वारा वांछित आख्या निर्धारित समय के अन्दर प्रेषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के अर्द्ध0शासकीय पत्र संख्या-54/11/म0बा0वि0स0/2022-23, दिनांक 19-01-2023 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश द्वारा अपने उक्त पत्र दिनांक 19-01-2023 में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि ऐसा संज्ञान में आया है कि संसदीय समितियों को शासन के विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित समय के अन्दर आख्या उपलब्ध न कराये जाने से समितियों के संचालन में असुविधा हो रही है। अत: प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा समस्त विभागों को इस आशय के निर्देश दिये जाने की अपेक्षा की गयी है कि संसदीय समितियों द्वारा वांछित आख्या निर्धारित समय के अन्दर प्रेषित की जाए, जिससे समितियों के संचालन में असमंजस की स्थिति उत्पन्न न हो।

3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के उक्त पत्र दिनांक 19-01-2023 में की गयी अपेक्षा के क्रम में संसदीय समितियों द्वारा वांछित आख्या प्रत्येक दशा में निर्धारित समय के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

कृपया इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्न-यथोक्त।

भवदीय,

जे0पी0 सिंह-II

प्रमुख सचिव।

कृ0पृ0-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-01/2023/175/90-सं0शि0प0का0/2023, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

2- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

3- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4- निजी सचिव, मा0 संसदीय कार्य मंत्री, उ0प्र0 को माननीय मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जे0पी0 सिंह-II

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अ0शा0 पत्र सं0: 28 /11/म0बा0वि0स0/2022-23

प्रदीप दुबे

कार्यालय : 0522-2213351
: 0522-2238098
फैक्स : 0522-2238208
आवास : 0522-2209294

विधान भवन,
लखनऊ

No. 2883 /MS/SG/2023

दिनांक 25/01/ 2023

संख्या 175 /90-सं0वि0स0का0/2023

आदरणीय महोदय,

मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के आदेशों के अधीन मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान सभा की संसदीय समितियों को प्रदेश के अंदर भ्रमण के दौरान उनको अनुमन्य प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

उक्त के अतिरिक्त मुझे यह कहने का निदेश भी हुआ है कि ऐसा संज्ञान में आया है कि संसदीय समितियों को शासन के विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित समय के अंदर आख्या उपलब्ध न कराए जाने से समितियों के संचालन में असुविधा हो रही है।

अतः अनुरोध है कि इस आशय के निर्देश भी समस्त विभागों को प्रेषित कर दिए जाएं कि संसदीय समितियों द्वारा वांछित आख्या निर्धारित समय के अंदर प्रेषित की जाए, जिससे समितियों के संचालन में असमंजस की स्थिति उत्पन्न न हो।

भवदीय,

(प्रदीप दुबे)

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

श्री दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

765/PS/PA/23

VS(P)

27/01-2023
(जे0 पी0 सिंह-II)
प्रमुख सचिव
संसदीय कार्य विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

(पूनम त्रिवेदी)
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी
संसदीय कार्य विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।